MOHAN DEV): (a) to (d) SAIL had invited global tenders for supply of the Cold Rolling Mill and received only two offers from abroad—one from M/s. Nisho Iwai Corporation of Japan and the second from M/s Duardin Montbard Somenor of France. Neither M/s. Hitachi Ltd. of Japan nor any Indian firm had responded to the global tender. DGTD had accorded indigenous clearance to the import of cold Rolling Mill in consideration of the above and also the fact that the technology for manufacture of the Cold Rolling Mill, required by Salem Steel Plant, together with integrated controlls and accessories, was not available indigenously.

(b) Salem Steel Plant/SAIL is not aware of any relationship between M/s. Nisho Iwai Corpn. and M/s. Trade Links.

(c) Yes, Sir. Re-submission of bids was considered necessary because both the quotations needed clarifications and the prices offered were considered to be on higher side than warranted/justified. It may not be in the commercial interest of SAIL to divulge the details of prices offered by the parties. At the stage of the first bid as well as the second bid, the offer made by M/s. Nisho Iwai Corpn. was evaluated to be the lower one.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखंडों का आबंटन

1814. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1991 तक दिल्ली में आवंटित भू-खंडों में से क्षेत्र-वार कितने वैकल्पिक भू-खंडों के स्थान में परिवर्तन किये हैं तथा इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं; और

(ख) उसी अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त भू-खंडों के संबंध में ऐसे कितने मामलों में आदेश किये गये जिनको अभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा ये मामले किन-किन व्यक्तियों से संबंधित हैं और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने पूर्व और दक्षिण जोनों में स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं दी है जबकि पश्चिम और उत्तर जोनों में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से क्रमशः 2 और 12 परिवर्तनों की अनुमति दी गई है :—

(i) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्लाट के आकार के लिए आबंटिती के जोर देने के कारण

(ii) प्लाट की अवस्थिति संबंधी विभिन्न कमियों के कारण; और

(iii) प्रमाणिक अनुकम्पा आधारों के कारण ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास इस प्रकार का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

बिना बारी के आबंटित मकानों तथा भू-खंडों के स्थान में परिवर्तन

1815. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जनवरी, 1991 से 31 अगस्त, 1991 तक कुल कितने मामलों में बिना बारी के आबंटित मकानों तथा भूखंडों के स्थान में परिवर्तन के आदेश दिये थे और प्रत्येक मामले का आधार क्या था तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 1 जनवरी, 1991 से 31 अगस्त, 1991 के दौरान उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 13 मामलों में, बिना बारी के आधार पर आबंटित फ्लैटों

के स्थान में परिवर्तन की अनुमति दी थी । इन मामलों के ब्यौरे विवरण में दर्शाये गये अनुसार है ।

बिना बारी के आधार पर कोई भूखंड आवंटित नहीं किये गये थे इसलिये स्थान परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र०सं०	आवंटिती का नाम	पता	परिवर्तन का आधार
1.	श्री मनमोहन सिंह	नं0 4, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	1. हृदय रोगी तथा हृदय सर्जरी कराई 2. छोटी जगह
2.	श्री पी०के० जैन	1, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली–11	सेवानिवृत्ति के कारण निर्मित फ्लैट आवंटित किया जा सका ।
3.	श्री भरत टंडन	बी–47, गंगोत्री इन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली	बवासीर रोग से पीड़ित है ।
4.	श्री पी०जी० जलानी	ए/2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–16	तल और बने बनाये फ्लैटस के परिवर्तन के लिये अनुमति ।
5.	श्री हितेन भाया	सी–80, मालवीय नगर,नई दिल्ली	सेवा निवृत्त हो रहे/ सेवा निवृत्त ।
6.	श्री शिव स्वरूप	ए–4, रेलवे कालोनी, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली ।	पिछले आवंटन की उच्च लागत ।
7.	श्री एस०के० मेहरा	एयर चीफ मार्शल, पीवीएस एम, एवीएसएम, वी० एम०, वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली	अपनी पत्नी को चिकित्सा आधारों पर वसन्त कुंज क्षेत्र सैनिक अस्पताल के नजदीक
8.	श्रीमती आरती गौतम	डी–37, कालकाजी, नई दिल्ली–19	विधवा
9.	श्रीमती गीता मोरे	44–ए, मुकर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली–18	बने बनाये फ्लैट हेतु अनुरोध
10.	श्री बी०एस० रामदास	484, मंदाकिनी ,अलकनंदा, नई दिल्ली ।	सेवा निवृत्ति के कारण बने बनाये मकान के लिये अनुरोध ।
11.	श्रीमती मीना बालासुब्रमण्यम	डी-II/299, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।	विधवा जिसका स्कूल जाने वाला बच्चा है तथा उसके कार्य स्थल के नजदीक व्यवस्था की जाय ।
12.	श्रीमती कांता कौल	506, टैगोर रोड, हास्टल, मिंटो रोड, नई दिल्ली ।	विधवा ।
13.	श्री ज्ञान चंदानी	ए–5/143बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली ।	आवेदक के विकलांग पुत्र का समीप की कालोनी में इलाज चल रहा है ।